"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 232] रायपुर, बुधवार, दिनांक 19 अगस्त 2009—श्रावण 28, शक 1931

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 अगस्त 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ. 1-3/18/2009.—छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 (1) (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा निम्न अनुसूची के अनुसार निम्नलिखित ग्रामों को नगर पंचायत बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया की सीमा में सम्मिलित करते हुए नगर पालिका बैकुण्ठपुर गठित करने का अभिप्राय प्रकट करता है:—

अनुसूची-1

प्रस्तावित नगर पालिका, बैकुण्ठपुर का विवरण निम्नानुसार है :—

क्रमांक	नगर पालिका बैकुण्ठपुर में सम्मिलित किये जाने वाले ग्रामों के नाम	जनसंख्या वर्ष 2001
(1)	(2)	(3)
1.	बैकुण्ठपुर (नगर पंचायत)	10077
2.	छिंदडांड	201
3.	तलवापारा	691
4.	ओड़गी	1948
5.	रामपुर	783
6.	जनकपुर	564
7.	हर्रापारा	435

(1)	(2)	(3)
8.	सागरपुर	945
9.	चेर	765
10.	धौराटिकरा	774
11.	जामपारा	1325
12.	केनापारा	1052
13.	जूनापारा	512
14.	वसूदेवपुर	243
15.	कंचनपुर	1153
16.	खुटरापारा	412
17.	खरवत	2666
		24546

अनुसूची-2

बैकुण्ठपुर नगर पालिका की सीमाएं निम्नानुसार होंगी :—

राजस्व ग्राम-छिंदडांड तलवापारा, ओड़गी, रामपुर, जनकपुर, हर्रापारा, सागरपुर, चेर, धौराटिकरा, जामपारा, केनापारा, जूनापारा, वसूदेवपुर, कंचनपुर, खुटरापारा, खरवत एवं नगर पंचायत बैकुण्ठपुर की सीमाएं ही नगर पालिका बैकुण्ठपुर की सीमाएं होंगी.

उपरोक्त आशय के "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर कोई भी स्थानीय प्राधिकारी अथवा कोई भी व्यक्ति, उक्त आशय के विषय में अपनी आपत्ति कलेक्टर, कोरिया को उनके कार्यालय में राज्य शासन के विनिश्चय हेतु कार्यालयीन दिवस एवं समय पर प्रस्तुत कर सकते हैं.

Raipur, the 18th August 2009

NOTIFICATION

No. F. 1-3/18/2009.—In exercise of powers conferred by Section 5 (1) (a) of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) the State Government, hereby include the following Villages in the boundary of Nagar Panchayat Baikunthpur hereby signify their intention to constitute a Nagar Palika Baikunthpur in District -Koria as given in the following Schedule :—

SCHEDULE-1

The particulars of Nagar Palika Baikunthpur is as under :—

Sl. No. (1)	Proposed Villages to be included in Nagar Palika Baikunthpur (2)	Population (Yr. 2001) (3)
1.	Baikunthpur (Nagar Panchayat)	10077
2.	Chinddand	201
3.	Talwapara	691
4.	Odagi	1948
5.	Rampur	783
6.	Janakpur	564

(1)	(2)	(3)
7.	Harrapara	435
8.	Sagarpur	945
9.	Cher	765
10.	Dhouratikra	774
11.	Jampara	1325
12.	Kenapara	1052
13.	Junapara	512
14.	Vasudeopur	243
15.	Kanchanpur	1153
16.	Khutrapara	412
17.	Kharwat	2666
	Total	**24546**

SCHEDULE-2

The revised boundaries of the Nagar Palika Baikunthpur is as below :—

The Boundaries of Nagar Palika Baikunthpur shall include the boundaries of existing revenue Villages-Chinddand, Talwapara, Odagi, Rampur, Janakpur, Harrapara, Sagarpur, Cher, Dhouratikra, Jampara, Kenapara, Junapara, Vasudeopur, Kanchanpur, Khutrapara, Kharwat and Nagar Panchayat Baikunthpur.

Any person or any local authority may submit his objection in writing to the Collector, District-Koria, on any official day and time within 30 days from the date of publication of the intention in the "Chhattisgarh Rajpatra" for the consideration of the State Government.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमंत पहारे, अतिरिक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.